

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प

-:आदेश:- 213/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भूअंनि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	खाता नगर	147	हनुमान केलारा नगर	हनुमान केलारा नगर

(भागस्थ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत सहायक कलेक्टर बालोत्तरा अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

दिनांक :- 14/5/18

क्रमांक :- 704-705

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
 2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
 3. रक्षित पत्रावली।

(भागस्थ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोत्तरा कैम्प